

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () सर्वे/उवसं/2023/ 10066

दिनांक: 08/09/23

निमित्त:-

अधिशायी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड- चौमहला।

विषय:- Construction of A/R to Banikheri in District jhalawar के वन भूमि प्रत्यावर्तन सम्बंधित सैद्धान्तिक स्वीकृति के पालना के सम्बंध में।
प्रसंग:- नोडल अधिकारी, एफसीए राज. जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 18.08.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति शासन सचिव राज0 सरकार के पत्रांक प.1(50) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3993 दिनांक 22.04.2015 से 57.33 लाख रु का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 31.03.2016 को प्रकरण की राशि केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर अपने कार्यालय पत्रांक 2909 दिनांक 07.07.2017 से सैधांतिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गई थी जिसे उच्च कार्यालय को दिनांक 16.11.2017 को प्रेषित कर गई थी। आपके कार्यालय पत्रांक 1256 दिनांक 02.05.2016 से निर्धारित 12 कॉलम कार्यालय के पत्रांक 9880 दिनांक 05.10.2017 को कॉर्पोरेशन बैंक में जमा हुई राशि 57.33 लाख रु की निर्धारित 12 बिन्दुओं का प्रपत्र एवं मूल अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। श्रमिक दर में बढ़ोतरी (189/- से 213/-) हो जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 14299 दिनांक 11.10.2018 से संशोधित मांग पत्र राशि 686671/- जमा करवाने हेतु लिखा गया था। वर्तमान में श्रमिक दर 259/- हो जाने के कारण निम्नानुसार संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था।

सैधांतिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तों की कुल राशि -2174835/-
वनभूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के कार्य करने पर दण्डात्मक एनपीवी की राशि-
प्रत्यावर्तित क्षेत्रफल- 0.52 है. कार्य करने की अवधि- अगस्त 2016 एनपीवी की दर-957780/-रु
दण्डात्मक एनपीवी राशि (5 वर्ष)- $0.52 \times 5 \times 957780 = 2490228$ /-rs
दण्डात्मक एनपीवी राशि का दो वर्ष का ब्याज-597655/-rs
जनउपयोगी प्रस्ताव होने के कारण कुल देय राशि $3087883 \times 20\% = 617577$ /-rs
कुल देय राशि =2792412/-rs

प्रकरण में प्रकरण की राशि 2792000/-रु अप्रोच रोड़ सावल्दा में जमा राशि के बदले समायोजित कर ली गई है। अतः समायोजन से शेष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 412/-रु केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़.

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2023/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज0 जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, डग को प्रेषित कर लेख है कि आज दिनांक तक प्रयोक्ता एजेंसी एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को मय सात दिवस में अवगत करावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

